कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया मध्यप्रदेश

–:: निविदा ::–

इस न्यायिक जिला स्थापना पर वाहन स्टैण्ड का संचालन निर्धारित शर्तों के अध्याधीन करने हेतु ठेका दिया जाना है, जिसके संबंध में इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्थान दिनांक 21/08/2024 को प्रातः 11:00 बजे न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर वाहन स्टैण्ड के ठेके हेतु खुली बोली/नीलामी में सम्मिलित हो सकते हैं ।

निविदा की शर्ते निम्नानुसार हैं :–

01. नीलामी में उपस्थित व्यक्ति को रू. 5000/– जिला नाजिर के समक्ष अमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी । उक्त राशि नियमानुसार वापसी योग्य होगी ।
2. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा "स्वच्छ न्यायालय अभियान" के अन्तर्गत साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा ।
03. वाहन स्टेण्ड का ठेका जिस निविदाकर्ता का स्वीकृत किया जावेगा उसे ठेके की राशि जोकि निविदा स्वीकार किये जाने पर प्रतिमाह देय होगी के अनुसार 3 माह की कुल देय राशि एक मुश्त अग्रिम जमा करना होगी ।
04. ठेके की राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से जिला नाजिर दतिया के पास जमा करनी होगी ।
05. वाहन स्टैण्ड का मासिक ठेका राशि रूपये 21850/– (इक्कीस हजार आठ सौ पचास रूपये) न्यूनतम निर्धारित की गई है, उक्त राशि से कम की निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी तथा जिस व्यक्ति के द्वारा सबसे अधिक राशि का दिया जाना प्रस्तावित किया जावेगा, उस व्यक्ति की निविदा स्वीकार की जावेगी।
06. वाहन स्टैण्ड ठेकेदार ऐसी कोई गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे कि शासकीय सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो ।
07. ठेके का उपठेका नहीं दिया जा सकेगा ।
08. वाहन स्टैण्ड का ठेका आवंटन के संबंध में एकमात्र विवेकाधिकार प्रधान जिला न्यायाधीश का होगा और निविदा की शर्तों का पालन नहीं किये जाने पर समयावधि पूर्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा ठेका निरस्त किया जा सकेगा।
09. वाहन स्टैण्ड ठेके की अवधि दो वर्ष अथवा आगामी आदेश तक के लिये होगी ।
10. वाहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । वाहन खराब होने, चोरी होने की दशा में वाहन स्वामी को चोरी गये वाहन की राशि का भुगतान करना होगा ।
11. साइकिल/स्कूटर/दो पहिया/चार पहिया वाहन की पार्किंग शुल्क निम्नानुसार होगी :–

साइकिल –	5/– रू. प्रतिदिन
स्कूटर/दो पहिया–	10/– रू. प्रतिदिन
चार पहिया –	20/– रू. प्रतिदिन

12. ठेकेदार द्वारा वाहन स्वामी को वाहन रखने हेतु टोकन दिया जाना आवश्यक होगा ।
13. यदि ठेकेदार द्वारा निरंतर दो माह तक मासिक किराया अदा नहीं किया जाता है, तो उसकी संपूर्ण जमा सुरक्षा निधि राजसात की जाकर ठेका निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
14. वाहन स्टैण्ड के ठेके में भाग लेने वाले व्यक्ति के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी अपराधिक अथवा सिविल मामला लंबित नहीं होना चाहिए एवं पूर्व में दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया हो।

9/7/24

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दतिया, (म0प्र0)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया मध्यप्रदेश

–:: निविदा ::–

इस न्यायिक जिला स्थापना पर कैंटीन का संचालन निर्धारित शर्तो के अध्याधीन करने हेतु ठेका दिया जाना है, जिसके संबंध में इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्थान **दिनांक 21/08/2024 को प्रातः 11:00 बजे** न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर कैंटीन के ठेके हेतु खुली बोली/नीलामी में सम्मिलित हो सकते हैं।

निविदा की शर्ते निम्नानुसार हैं :–

01. नीलामी में उपस्थित व्यक्ति को रू. 5000/– जिला नाजिर के समक्ष अमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी । उक्त राशि नियमानुसार वापसी योग्य होगी ।
02. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा "स्वच्छ न्यायालय अभियान" के अन्तर्गत साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा ।
03. कैंटीन का ठेका जिस निविदाकर्ता का स्वीकृत किया जावेगा उसे ठेके की राशि जोकि निविदा स्वीकार किये जाने पर प्रतिमाह देय होगी के अनुसार 3 माह की कुल देय राशि एक मुश्त अग्रिम जमा करना होगी ।
04. ठेके की राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से जिला नाजिर दतिया के पास जमा करनी होगी ।
05. कैंटीन का मासिक ठेका राशि रूपये 9467/– (नौ हजार चार सौ सड़सठ) न्यूनतम निर्धारित की गई है, उक्त राशि से कम की निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी तथा जिस व्यक्ति के द्वारा सबसे अधिक राशि का दिया जाना प्रस्तावित किया जावेगा, उस व्यक्ति की निविदा स्वीकार की जावेगी।
06. कैंटीन ठेकेदार द्वारा कोरोना गाईड लाईन का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
07. कैंटीन ठेकेदार ऐसी कोई गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे कि शासकीय सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो ।
08. ठेके का उपठेका नहीं दिया जा सकेगा ।
09. कैंटीन संचालक को स्वयं के व्यय पर विद्युत मीटर लगवाकर पृथक से विद्युत बिल का भुगतान करना होगा।
10. कैंटीन में विक्रय की जाने वाली सामग्री अमानक अथवा मिलावटी नहीं होगी, जांच में यदि खाद्य सामग्री मिलावटी अथवा अमानक पायी जाती है तो कैंटीन का ठेका निरस्त किया जा सकेगा।
11. कैंटीन का ठेका आवंटन/निरस्त के संबंध में एकमात्र विवेकाधिकार प्रधान जिला न्यायाधीश का होगा।
12. कैंटीन ठेके की अवधि दो वर्ष अथवा आगामी आदेश तक के लिये होगी ।
13. कैंटीन में किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ तम्बाकू, गुटखा आदि का विक्रय वर्जित रहेगा।
14. यदि ठेकेदार द्वारा निरंतर दो माह तक मासिक किराया अदा नहीं किया जाता है, तो उसकी संपूर्ण जमा सुरक्षा निधि राजसात की जाकर ठेका निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
15. कैंटीन के ठेके में भाग लेने वाले व्यक्ति के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी अपराधिक अथवा सिविल मामला लंबित नहीं होना चाहिये तथा पूर्व में दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया हो।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दतिया, (म0प्र0)